इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 48 / प्र0अ0–भवन / जोन–3 / शमन / 2013–14 दिनांक 27/09/2013

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद शुक्ला द्वारा प्लाट नं0–12 व 13 सिविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (3) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 24.09.2013 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर लगाये गये 03 अदद वृक्ष को सदैव हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
7. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
8. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
9. यदि भूखण्डो का उप–विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव / प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

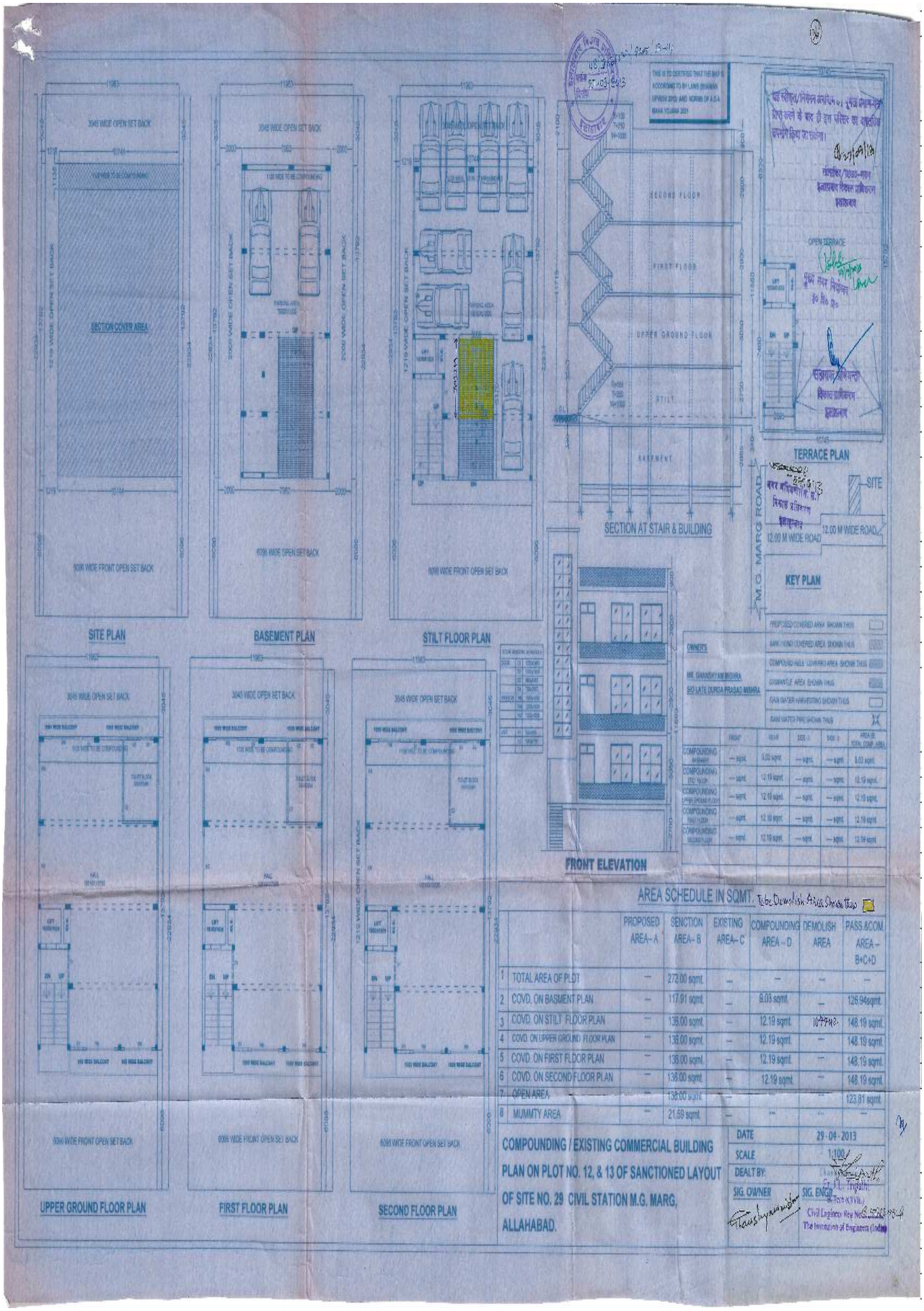

PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS	
SANCTIONED COVERED AREA SHOWN THUS	
COMPOUNDABLE COVERED AREA SHOWN THUS	
DISMANTLE AREA SHOWN THUS	
RAIN WATER HARVESTING SHOWN THUS	
RAIN WATER PIPE SHOWN THUS	

OWNER'S

MR. GHANSHYAM MISHRA
S/O LATE DURGA PRASAD MISHRA

	FRONT	REAR	SIDE-1	SIDE-2	AREA (E) TOTAL COMP. AREA
COMPOUNDING BASEMENT	— sqmt.	9.03 sqmt.	— sqmt.	— sqmt.	9.03 sqmt.
COMPOUNDING STILT FLOOR	— sqmt.	12.19 sqmt.	— sqmt.	— sqmt.	12.19 sqmt.
COMPOUNDING UPPER GROUND FLOOR	— sqmt.	12.19 sqmt.	— sqmt.	— sqmt.	12.19 sqmt.
COMPOUNDING FIRST FLOOR	— sqmt.	12.19 sqmt.	— sqmt.	— sqmt.	12.19 sqmt.
COMPOUNDING SECOND FLOOR	— sqmt.	12.19 sqmt.	— sqmt.	— sqmt.	12.19 sqmt.

AREA SCHEDULE IN SQMT. To be Demolish Area Shown thus

		PROPOSED AREA-A	SENCTION AREA-B	EXISTING AREA-C	COMPOUNDING AREA-D	DEMOLISH AREA	PASS.&COM. AREA-B+C+D
1	TOTAL AREA OF PLOT	—	272.00 sqmt.	—	—	—	—
2	COVD. ON BASMENT PLAN	—	117.91 sqmt.	—	9.03 sqmt.	—	126.94sqmt.
3	COVD. ON STILT FLOOR PLAN	—	136.00 sqmt.	—	12.19 sqmt.	10.47 m2.	148.19 sqmt.
4	COVD. ON UPPER GROUND FLOOR PLAN	—	136.00 sqmt.	—	12.19 sqmt.	—	148.19 sqmt.
5	COVD. ON FIRST FLOOR PLAN	—	136.00 sqmt.	—	12.19 sqmt.	—	148.19 sqmt.
6	COVD. ON SECOND FLOOR PLAN	—	136.00 sqmt.	—	12.19 sqmt.	—	148.19 sqmt.
7	OPEN AREA	—	136.00 sqmt.	—		—	123.81 sqmt.
8	MUMMTY AREA	—	21.59 sqmt.	—	—	—	—

COMPOUNDING / EXISTING COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PLOT NO. 12, & 13 OF SANCTIONED LAYOUT OF SITE NO. 29 CIVIL STATION M.G. MARG, ALLAHABAD.

DATE	29-04-2013
SCALE	1:100
DEALT BY:	
SIG. OWNER	SIG. ENGR.

Er. P.L. Tripathi
B.Tech (CIVIL)
Civil Engineer Reg No. 5782-95-4
The Institution of Engineers (India)